अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2003

का.आ. 902(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 10 मार्च,1997 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 180(अ0)द्वारा केन्द्रीय सरकार ने नेशनल एसोसिएशन फॉर दी ब्लाइन्ड (मेहसाना जिला शाखा),दक्षिण वाणिज्यिक केन्द्र, निकट श्री गेट, विसनगर-384315, जिला मेहसाना (एन0जी0), गुजरात द्वारा गुजरात के मेहसाना जिले के सभी तालुकों में नेत्रहीन लोगों की पुनर्वास परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1997-98 से आरम्भ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 16 पर विनिर्दिष्ट किया था,जिसे बाद में दिनांक 1 अप्रैल,1999 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 216(अ0)द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था और जिसे बाद में दिनांक 9 दिसम्बर,2002 की अधिसूचना सं0 सां0आ0 1284(अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के सात वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेशनल एसोसिएशन फॉर दी ब्लाइन्ड (मेहसाना जिला शाखा), दक्षिण वाणिज्यिक केन्द्र, निकट श्री गेट, विसनगर-384315, जिला मेहसाना (एन0जी0), गुजरात द्वारा गुजरात के मेहसाना जिले के सभी तालुकों में चलाई जा रही नेत्रहीन लोगों की पुनर्वास परियोजना की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र पैंतालीस लाख, इक्यानवे हजार रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 198-2003/फा. सं. एन.सी. 151/2003]

ए. जे. मजूमदार, सचिव (राष्ट्रीय समिति)